रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 1974/आषाढ़ 31, 1896

No. 189] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 1974/ASADHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 22nd July 1974

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 224 of the Central Excise Rules, 1944 and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby directs that all goods specified in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which may be cleared for home consumption from a factory or from a warehouse during the week commencing on the 22nd day of July, 1974 and the week immediately following that week shall not exceed by more than fifty per cent the weekly average of the quantity cleared during the twelve months immediately preceding the 1st day of July, 1974.

Explanation.—For the purposes of this notification, goods which have been removed from a warehouse under bond to be rewarehoused shall, if the duty is paid on such goods without their being rewarehoused, be deemed to have been removed on the date of payment of duty for home consumption from such warehouse.

[No. 118/74-C.E.]

H. VUMKHAWTHANG, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 326 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और तद्धीन सामर्थ्य प्रदान करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब माल, जो कारखाने से या भाण्डागार से घरेलू उपभोग के लिए, 1974 की जुलाई, के बाईसवें दिन से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के और उस सप्ताह के ठीक बाद वाले सप्ताह के दौरान निकाला जाए, वह 1974 की जुलाई के प्रथम दिन के ठीक पूर्व बारह मास के दौरान निकाली गई औसत साप्ताहिक मात्रा के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे माल को, जो बन्ध-पत्र के अधीन भाण्डागार से पुनः भाण्डागारण के लिए हटाया गया है, यदि उस माल पर शुल्क, पुनः भाण्डागारण किए जाने के बिना, संदत्त कर दिया जाता है तो, ऐसे भाण्डागार से घरेलू उपभोग के लिए शुल्क के संदाय की तारीख पर हटाया गया समझा जाएगा।

[सं० 118/74-के० उ० शु०]

एच० थूमखोथांग, उप सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974